

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216354
CG-DL-E-25022020-216354

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941

No. 718]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/PHALGUNA 1, 1941

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

का.आ. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3573 (अ) दिनांक 26 सितंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में NH1 के कि.मी. 96 से कि.मी.387.1 (पानीपत से जालंधर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17अक्टूबर,2019" को "हिंदुस्तान टाइम्स" और "अजीत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में NH1 के कि.मी. 96 से कि.मी. 387.1 (पानीपत से जालंधर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: लुधियाना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लुधियाना (वेस्ट)				
	गांव का नाम: मजारा खुर्द (९५)				
1	19/2/2	निजी	एग्रीकल्चरल	0.091	रोड सिंह ज्ञान सिंह S/o इन्दर सिंह bS/o फत्तू इक्कल शेयर (9//19/2/२)
2	23/2	निजी	एग्रीकल्चरल	0.07	विद्या विडो एंड जसविंदर सिंह, ,अशोक कुमार संस दानो रानी स्वर्ण कौर D/o भाग राम S/o सुंदर दस इक्कल शेयर 6/२७३ रानी कौर D/o भाग राम S/o सुंदर दस शेयर 3/१८२ रोशन लाल S/o गोलू राम S/o सुंदर

					दस शेयर 3/१८२ दर्शन लाल S/o बलवंत सिंह S/o कहला राम शेयर 11/39* 11/३९ कुंती ार्नी विडो एंड बीरपाल कृष्ण लाल राधे शाम संस एंड परमजीत कौर डॉटर ऑफ़ जोगिन्दर लाल S/o गोलू राम इक्कल शेयर 15/२६० गुलशन लाल S/o बलवंत सिंह S/o कहला राम शेयर 19/३९ अशोक कुमार S/o पुराण चाँद S/o राम दिता शेयर 1/१३ (9/23/२)
3	9/ 1/2/2	निजी	एग्रीकल्चरल	0.051	सुच्चा सिंह S/o पखार सिंह S/o शाम सिंह शेयर 2/५ सुरजीत सिंह अमृतपाल सिंह S/o गुरदियाल सिंह S/o अमर सिंह शेयर 3/५ (9/1/2/२)
			कुल	0.212	

[फा. सं. NHAI/DK-II/LA/N.H.-1/PHASE-V/AMBALA/PN/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

S.O. 787(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways SO No- 3573 (E) dated 26 September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH1 on the stretch of land from Km 96 to Km 387.1 (Panipat to Jalandhar Section) in the district of LUDHIANA in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times” and “Ajit” both dated 17 October, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH1 in the stretch of land from NH1 (Panipat to Jalandhar Section) in the district of LUDHIANA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: LUDHIANA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ludhiana (West)				
	Village: Majra Khurd (95)				
1	19/2/2	Private	Agricultural	0.091	Rud Singh Gyan Singh s/o Inder Singh s/o Fattu equal share 9//19/2/2
2	23/2	Private	Agricultural	0.07	Vidya widow and Jaswinder Singh ,Ashok Kumar sons Dano Rani Swaran Kaur d/o Bhag Ram s/o Sunder Das equal share 6/273 Rani Kaur d/o Bhag Ram s/o Sunder Das share 3/182 Roshan Lal s/o Golu Ram s/o Sunder Das share 3/182 Darshan Lal s/o Balwant Singh s/o Kahla Ram share 11/39 Kunti arni widow and Birpal Krishan Lal Radhe sham sons and Paramjit Kaur daughter of Joginder Lal s/o Golu Ram equal share 15/260 Gulshan lal s/o Balwant Singh s/o Kahla Ram share 19/39 Ashok Kumar s/o Puran Chand s/o ram Ditta share 1/13 9//23/2
3	9// 1/2/2	Private	Agricultural	0.051	Suchha Singh s/o Pakhar Singh s/o Sham Singh share 2/5 Surjit Singh Amritpal Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Amar Singh share 3/5 9//1/2/2
			TOTAL	0.212	

[F. No. NHAI/DK-II/LA/N.H.-1/PHASE-V/AMBALA/PN/3D]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.